निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -22/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खनन अधिकारी चमोली के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार मौर्य ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.17 से 23.05.17 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** प्रथम लेखापरीक्षा है।

   वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

   विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13	465.07
2013-14	118.86
2014-15	119.08
2015-16	163.36
2016-17	175.52

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: बजट प्राप्त नही होता है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (खनन) – अपर सचिव/निदेशक – अपर निदेशक

|

संयुक्त निदेशक खनन – संयुक्त निदेशक भूविज्ञान – रसायनक

| | | |

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधि°- खान अधि° उपनिदेशक भूविज्ञान- सहायक भूविज्ञान सहा° रसायनज्ञ- प्रा° सहा°रसायनज्ञ

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर चमोली** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह03/17, 10/15 और 3/14 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह .... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

प्रस्तर 01-स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण ₹8.66 लाख

इण्डियन स्टाम्प अ धनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अ धकृत, पु लस अ धकारी के सवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्य के सम्पादन मे कोई ऐसा वलेख प्रस्तुत कया जाये या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो क वह वलेख यथा व ध स्टाम्पित नही है, से जब्त् करेगा।

पुन धारा 35 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अ धकृत कसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वलेख को जो शुल्क से प्रर्भाय है, साक्ष्य स्वीकार नही कया जायेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या कसी सार्वजनिक अ धकारी द्वारा उसको कार्याब्वत रजिस्ट्रीकृत या प्रमा णत नही कया जायेगा, जब तक वह वलेख यथा व ध स्टाम्पित न हो। रजिस्ट्रेशन अ धनियम 1908 की धारा 17(1)(घ) मे यह प्रावधान कया गया है क वर्षा नवर्ष या क वर्ष से अ धक कसी अव ध के लए या वा र्षक कराया सुर क्षत करने वाली अचल सम्प त्त की लीज के लेखपाल का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो वलेख क वर्ष से कम अव ध के लये है उनका रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक है कन्तु उसके प्रतिफल की धनरा श पर स्टाम्प शुल्क अदा कया जाना अपे क्षत है।

पुन: महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड के पत्रांक 827/म0नि0नि0/2013-14 दिनांक 23.12.13 जो समस्त जिला धकारी को संबों धत है के द्वारा यह निर्देश दिये गये है क समस्त कार्यालयध्यक्ष भारतीय स्टाम्प अ धनियम की धारा 33 के आलोक मे उनके कार्यालय मे वगत 8 वर्षो मे निष्पादित कये गये व भन्न प्रकार के वलेखो का परीक्षण कर ले एवं यदि कसी प्रकरण मे स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबं धत अ भलेखों की प्रति अपनी आख्या सहित यथाशीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय मे उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, गोपेश्वर (चमोली) की नमूना लेखा परीक्षा मे कार्यालय के स्टोन क्रेशर /भण्डारण तथा पट्टा वलेखों की पत्राव लयों की जांच मे निम्न तथ्य संज्ञान मे आये-

1. तीन स्टोन क्रेशर के स्वा मयो को स्टोन क्रेशर स्थापना/भण्डारण हेतु व्योक्तियों द्वारा अपनी भू म कराये पर दी गई तथा अनुबन्ध/करायेनामे पर मात्र ₹50 या ₹100 का स्टाम्प स्टाम्पित कया गया जब क नियमानुसार अनुलग्नक -1 के कालम-9स के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय था एवं कालम-10 के अनुसार स्टाम्प शुल्क कम था। उक्त प्रकार से व र्णत मामले कलेक्टर स्टाम्प को सन्द र्भत नही कये जाने से ₹52912 के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई तथा इन वलेख पत्रों को उपनिबंधक कार्यालय मे पंजीकृत न कराये जाने के कारण निबंधन फीस के रुप मे भी राजस्व क्षति हुई।
2. श्री धन संह राणा पुत्र श्री लाल संह राणा, ग्राम व पोस्ट -लाता, पटवारी क्षेत्र-तपोवन तहसील- जोशीमठ, जिला -चमोली को ति थ 4/15 से 12/16 जिसकी अव ध 01 वर्ष 09 माह थी तथा पट्टे की वा र्षक धनरा श 7333333 थी, स्वीकृत हुआ था। नियमानुसार एक वर्ष से अ धक कन्तु पांच वर्ष से अन धक अव ध की लीज पर वा र्षक पट्टा धनरा श के औसत के तीन गुने पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था। इस लए वा र्षक पट्टा धनरा श ₹7333333 की तीन गुना ₹21999999 पर दो प्रतिशत ₹4400000 का स्टाम्प शुल्क देय था, जब क वलेख पत्र पर मात्र ₹146700 के स्टाम्प स्टाम्पित थे।

उपरोक्त प्रकार से ₹293300 (440000-146700) के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।

3. श्री हरीश संह भण्डारी पुत्र स्व0 मुरली संह भण्डारी, ग्राम-बड़ागांव, पटवारी क्षेत्र व तहसील जोशीमठ , जिला -चमोली को दिनांक 10.02.15 से 30.12.16 जिसकी अव ध 01 वर्ष 10 माह 20 दिन थी तथा पट्टे की वा र्षक धनरा श 1800000 थी, स्वीक-त हुआ था। नियमानुसार एक वर्ष से अ धक कन्तु पांच वर्ष से अन धक अव ध की लीज पर वा र्षक पट्टा धनरा श के औसत के तीन गुने पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था। इस लए वा र्षक पट्टा धनरा श ₹180000000 की तीन गुना ₹54000000 पर दो प्रतिशत ₹1080000 का स्टाम्प शुल्क देय था, जब क वलेख पत्र पर मात्र ₹560000 का स्टाम्प शुल्क अदा कया गया था।

   उपरोक्त प्रकार से ₹520000 (1080000-560000) का स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।

   लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर बिन्दु (1) के संबंध मे इकाई ने उत्तर दिया क उत्तरांचल शासन, औद्यो गक वकास वभाग की अ धसूचना सं0 617/सात/05/158-ख/2004 दिनांक 14.03.05 द्वारा प्रस्था पत उत्तरांचल खनिज

(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारम का निवारण) नियमावली 2005 के बिन्दु सं 11(ग) के अनुसार कसी ऐसी भू म जो उसकी नही है या उसके /ठसकी वैध करायेदारी मे नही है का उपभोग खनिजों के भण्डारण के लए नही करेगा, उल्लि खत है।

उक्त बिन्दु मे स्टाम्प शुल्क कोई उल्लेख नही कया गया है।

उक्त के अनुसार भण्डारण हेतु उपयोग मे ली जाने वाली भू म ववादित नही होनी चाहिए, भू म (वर्ग-क) होनी चाहिए, से संबं धत हे बिन्दु सं0- (2) व (3) के संबंध मे अवगत कराया गया क कसी भी स्वीकृत होने वाले खनन पट्टे से संबं धत मूल्याकंन आख्या अर्थात् वा षक पट्टा धनरा श/अपरिहार्य भारक/मा सक कश्त/प्रतिभूति की धनरा श हेतु आख्या जिला धकारी महोदय की प्रे षत की जाती है साथ ही प्रति ल प अन्य के साथ-साथ जिला उप निबंधक अ धकारी को इस आश्य से प्रे षत की जाती है क खनन पट्टा वलेख निष्पादन हेतु आंग णत वा षक पट्टा धनरा श वर्तमान माह से दिनांक 30.09.16 तक की अव ध हेतु लगने वाले स्टाम्प शुल्क के संबंध मे सू चत करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प पेपर पर जिला कार्यालय से वलेख टं कत होने उपरान्त उसका पंजीकरण संबं धत उप निबंधन अ धकारी के कार्यालय मे कया जाता है। स्टाम्प शुल्क कम या अ धक होने के संबंध मे जिला उप निबंधन अ धकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इकाई द्वारा पट्टा वलेख के संबंध मे उनके कार्यालय मे होने वाली पूरी प्रणाली का तो वस्तृत ववरण दिया गया ले कन स्टाम्प से संबं धत जानकारी न होने के कारण तथा प्रकरण की गम्भीरता को न समझते हुए उप निबंधक अ धकारी से जानकारी प्राप्त की सलाह दी गयी।

अत: 8.66 लाख के स्टाम्प शुल्क न्यूनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर 01:- वभागीय उदासीनता के फलस्वरुप राजस्व क्षति **₹**147.30 लाख

जनपद चमोली के तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम जयकण्डी स्थित अलकनन्दा नदी तल पर उपलब्ध उपखनिज क्षेत्र (खसरा नं 955 मु0 क्षे0) (4.90 है0) मे खनन/चुगान करने के लये जिला धकारी चमोली द्वारा दिनांक 14.11.13 को नि वदा का प्रकाशन कया गया था। उक्त के सापेक्ष खनन/पट्टा आंवटित होने की कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति मे जिला धकारी चमोली द्वारा पुन: दिनांक 23.01.14 को अल्पका लक नि वदा सूचना का प्रकाशन करते हुये सर्वा धक सावर्जिनक नि वदा दात्ता भरने वाले श्री नन्दन संह पुत्र स्व0 श्री शंकर संह वष्ट ग्राम निवासी पलगं तहसील एवं जिला चमोली के पक्ष 17459000 प्रतिवर्ष के रायल्टी के आधार पर खनन पट्टा आदेश (एम0एम0 -10) जिला धकारी, दिनांक 22.02.14 को निम्न शर्तो के साथ निगर्त कर दिया गया था पट्टा धारक को वर्ष मे (वर्षा ऋतु को छोड़कर) ₹139650/- टन का खनन करना है तथा ₹1939889/- की मा सक रायल्टी निर्धारित कया गया था। खनन/चुगान पट्टा तीन वर्ष या 30 सतम्बर 2016 तक वैध था।

शर्ते: 1. उत्तराखण्ड शासन औद्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 1971/VII-1/130-29/ दिनांक 23 सतम्बर 2013 मे व र्णत शर्तो का पालन करना है।

2. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 तथा उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। उक्त निर्धारित शर्तो के आधीन खनन/चुगान कार्य करेगा तथा वा षक अपरिहार्य रायल्टी को 9 मा सक कश्तो के रुप अ ग्रम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक राजकीय कोष मे जमा कया जायेगा।

3. अ ग्रम में मा सक कश्त जमा न कये जाने की स्थिति मे 15% वा षक ब्याज से जा करने का नोटिस दिया जायेगा पुन न जमा करने की स्थिति मे 18% की वा षक दर से जमा करने की नोटिस जारी की जायेगा पुन: न जमा करने की स्थिति मे अ ग्रम एवं प्रतिभूति का समायोजन कर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

4. मा सक अ ग्रम कश्त 20 तारीख तक जमा न करने की स्थिति मे खनिज के खनन/चुगान के परिवहन हेतु एम0एम0-11 प्राप्त नहीं कया जा सकता है।

जिला खनन अ धकारी चमोली के क्त पट्टाधारक की पत्रावली की जांच मे पाया गया क पट्टा धारक द्वारा माह 02/2014 से माह 12/2014 तक का अ ग्रम कुल धनरा श

₹15519112/- (1939889X8) जमा कया गया था परन्तु उक्त माहों के उपरान्त 01/2015 से 06/2015 तक की कुल ₹11639334 (1939889X6) की धनरा श नही जमा की गयी थी जब क पट्टा धारक द्वारा उक्त माहों मे खनन/ुगान 30349.90 टन का कया गया था एवं खनन/ुगान के परिवहन के लये एम0एम0-11 माह 01/15, 02/15 एवं 04/15 मे पट्टा धारक द्वारा प्राप्त कया गया था।

आगे अ भलेखों की जांच मे यह भी पाया गया क पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर 2015 से पुन: ₹698155 के मा सक कश्त के आधार पर अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक कुल ₹2792620 जमा कया गया था पुन: 02/16 से 06/16 तक की धनरा श ₹3090775/- (698155X5=3090775) सम्प्रेक्षा ति थ तक नही जमा कया गया था जब क उक्त माहो प्राप्त कया गया था सफल पट्टाधारक श्री खनन/ुगान 22647.16 टन का कया गया था माह 02/2016 एवं 06/16 मे पट्टा धारक भी नन्दन संह का मा सक कश्त 1939889 से माह 10/2015 मे ₹698155 कये जाने का औ चत्य पता नही चला जब क आधार कुल ₹ 17456250/- था आधार मूल्य के अनुसार भी मा सक कश्त ₹1939583.333 होता है।

इस प्रकार ₹17430109/- की धनरा श पट्टा धारक द्वारा नही जमा कया गया था तथा उक्त पर जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज भी देय है।

उक्त के संबंध मे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा उत्तर मे बताया गया क मा सक अ ग्रम कश्त के समायोजन के संबंध मार्गदर्शन हेतु निदेशक को पत्र प्रे षत कया गया तथा उच्च स्तर से कोई आदेश प्राप्त न होने की दृष्टिगत रखते हुए खनन पत्र एम0एम0-11 जारी कया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्यों क उक्त के संबंध मे अ धसूचना/कार्यालय ज्ञाप की शर्त के अनुसार मा सक अ ग्रम कश्त जमा न होने पर एम0एम0-11 निर्गत नही कया जाना था।

अत: ₹147.30 लाख के राजस्व क्षति तथा ब्याज के हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर 02-रायल्टी जमा न कये जाने के परिणामस्वरुप राजस्व क्षति ₹32.30 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1917/VII-I/130-ख/2013 दिनांक 23.09.13 के बिन्दु (a) मे यह व र्णत है क कन्ही कारणों से जिन-जिन क्षेत्रों का राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जिला धकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा श्रोत क्षेत्र के संबंध मे आप त्त दर्ज की जाती है जिसमे आवेदक की ओर से कोई गलती नही होने की दशा मे निदेशक की अनुमति के उपरान्त अनुमति शासन द्वारा वापस ली जायेगी ऐसी परिस्थिति मे स्वीकृत प्रतिभूति रा श तथा अ ग्रम कश्त आवेदक को वापस कर दी जायेगी। यदि निकासी हुई तो तद्नुसार नि वदत मूल्य के अनुरुप आगणन कर धनरा श जमा करायी जायेगी तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप के वज्ञप्तिकरण, नि वदा प्रपत्र एवं शर्तो के बिन्दु (9) भुगतान की प्र क्रया के (पांच) मे उल्लि खत है क पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिला धकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी नि वदा प्र क्रया पूर्ण होने तक अर्थात अर्थात जब तक दुबारा नय मत कार्य प्रारम्भ न हो जाय तब तक की अव ध हेतु उक्त क्षेत्रों को दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगो को निकासी हेतु दिया जायेगा तथा क्त क्षेत्र मे हो रहे प्रतिदिन के राजस्व हानि को पूर्व मे आधारित सफल नि वदाकार द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र से वसूल कया जयेगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुसार जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के ग्राम अलगांव खसरा सं 127 क्षे0 3.001 हे0 मे उपल्बध उपखनिज के खनन/चुगान के लये नि वदा के माध्यम से सार्वजनिक नि वदा दाता श्री हरीश संह भण्डारी पुत्र श्री मुरली संह भण्डारी के पक्ष मे जिला धकारी चमोली द्वारा 2000000 मा सक अ ग्रम (₹180000000 वा र्षक)

कश्त निर्धारित कर दिनांक 11.02.15 को खनन/चुगान का आदेश निर्गत कर दिया गया उक्त खनन/चुगान के द्वारा 53250 टन प्रति वर्ष चुगान कया जाना था तथा आधार मूल्य ₹6656250/- प्रति वर्ष (वर्षाऋतु छोड़कर) था।

आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क पट्टाधारक द्वारा दिनांक 03.04.15 को पूर्व मे हुई दैवीय आपदा के कारण नदी मे अत्य धक मात्रा मे वोल्डर का भण्डारण रेज बजरी की उपलब्धता न होना तथा क्षेत्र मे स्टोन क्रेशर पलान्ट का होना तथा आ र्थक स्थिति दयनीय बता कर खनन लाट को निरस्त कये जाने का अनुरोध कया गया और उक्त का खनन/पट्टा आदेश दिनांक 24.07.15 को सरेण्डर करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। पुन: आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क लाटरी सस्टम के आधार पर दिनांक

12.02.16 को ₹750250 मा सक कश्त के आधार पर श्री प्रेम संह, के पटन स्वीकृत कर दिया गया ।

इस प्रकार दिनांक 24.07.15 से दिनांक 12.02.16 तक के मध्य दैनिक आधार पर राजस्व ₹32.30 लाख सफल नि वदा दाता श्री हरीश चन्द्र भण्डारी द्वारा नही जमा कये जाने से राजस्व क्षति हुई। ववरण निम्नानुसार है।

लाट का आधार मूल्य ₹6656250 वा षक

मा सक मूल्य ₹6656250/9=₹739583/-

माह 10/15, 11/15, 12/15, 1/16 का मूल्य =₹739583X4=₹2958332

11.02.2016 तक का मूल्य =₹739583/30X11=₹271180

कुल योग= ₹3229512

आवेदक की त्रुटि के संबंध मे अवगत कराना है क दैवीय आपदा वर्ष 2013 मे आयी थी, पर्यावरणीय आख्या वर्ष 2014 मे होने पर 53250 घन मी0 चुगान की अनुमति दी गयी थी तथा क्षेत्र मे वोल्डर है, की सूचना नि वदा मे दी गयी थी तथा क्षेत्र का निरीक्षण करने के उपरान्त नि वदा भरे जाने का निर्देश था।

उक्त के संबंध मे इं गत कये जाने पर वभाग अपने उत्तर मे बताया गया क उक्त के संबंध मे जिला कार्यालय से आख्या प्राप्त कया जाना उ चत होगा।

अत: जिला कार्यालय से उत्तर प्राप्त करने हेतु शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

इस प्रकार सफल नि वदा दाता द्वारा लाट सरेण्डर होने के उपरान्त तथा पुन: आवंटन के पूर्व की रायल्टी जमा न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹32.30 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 03-स्वीकृत मात्रा से अ धक भण्डारण पर अर्थदण्ड ₹2.00 लाख एवं रायल्टी ₹25.91 लाख का अनारोपण।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग अ धसूचना संख्या 1031/VII-1/2015/158-ख/ 2004 देहरादून, 31 जुलाई, 2015 के नियम 13 के उपनियम 2(ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अ भलेखों से आग णत मात्रा से 2% से अ धक पायी जाती है या भण्डारण की मात्रा अ भलेखों एवं वास्तिवक पैमाईश के अनुसार मात्रा का मलान करने पर 2% से अ धक भण्डारित मात्रा पर नियम-13(2)(ख) के अनुसार अर्थदण्ड धनरा श ₹200000/- के अतिरिक्त अवैध उत्खनिज खनिज /परिवहन कये जा रहे खनिज/भण्डारित कये गये खनिज की मात्रा का वक्रय मूल्य (रायल्टी का पांच गुणा तक) की धनरा श उपरोक्तानुसार आंग णत कर वसूल की जायेगी।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास वभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/VII-1/2015/146-ख/ 2010 देहरादून, 31 जुलाई, 2015 के उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईट आदि) नीति 2015 के अनुसार पर्वतीय उपखनिज क्षेत्र (क्षेत्र-क) जिसमे जनपद-चमोली सम्मि लत है, मे उपखनिज की रायल्टी दर तत्समय निर्धारित रायल्टी दर का 50% लागू होगा, साथ ही रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रायल्टी का 10% अतिरिक्त रुप से देय होगा।

पुन: उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-1 अ धसूचना संख्या 211/VII-1/2015/24--ख/ 2007 देहरादून, 26 फरवरी, 2016 के उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 के बिन्दु -6 के अनुसार नदी तल से भन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स, बजरी/मट्टी, बैलास्ट सगंल/पहाड़ो के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू के रायल्टी की दर 194.50 प्रति धनमीटर होगा।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, गोपेश्वर (चमोली) की नमूना लेखापरीक्षा मे कार्यालय के स्टोन क्रेशर एवं भण्डारण पत्राव लयों की जांच मे निम्न तथ्य संज्ञान मे आये-

1. पत्रांक 109/जि0टा0को0च0/उप0ख0भण्डारण/2016-17, दिनांक 9 जून,2016 की जांच आख्या के अनुसार स्था पत कये जाने वाले स्टोन क्रेशर संयत्र के भूभाग को छोड़ते हुए लगभग 0.150 हैक्टेयर भू म उपखनिज भण्डारण हेतु शेष थी जिस पर कुल लगभग 4500 घनमीटर उपखनिज का भण्डारण कया जा सकता था। इसको आधार

मानते हुए दिनांक 15 जून, 2016 को श्री धर्म संह भण्डारी पुत्र श्री इन्दु संह भण्डारी ग्राम व रा0उप0 निरीक्षक क्षेत्र-हेलंग तहसील जोशीमठ जनपद चमोली को 01 मार्च 2021 तक की अव ध हेतु 4500 धनमीटर उपखनिज (बालू, रेता, कंकरीट) के भण्डारण हेतु अनुमति दी गयी थी।

सतम्बर 2016 की मा सक ववरणी प्रपत्र -एल के अनुसार भण्डारणकर्ता के पास उपखनिज का प्रारम्भिक स्टांक 8400 घनमीटर था जो उनकी स्वीकृत मात्रा 4500 घनमीटर से 3900 घनमीटर अ धक था।

नियामानुसार 3900 धनमीटर का 2%, 78 घनमीटर को छोड़कर 3822 घनमीटर पर वक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार कया जाना था-

(क) रायल्टी

194.50 घनमीटर X3822 धनमीटर

=₹743379.00 का 50% =₹371689.00

(ख) रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15%

=371689 का 15% =₹55753

(ग) वकास शुल्क रायल्टी का 10%

₹371689.00 का 10% =₹37168

कुल=₹464610.00/-

अत: भण्डारणकर्ता पर ₹2.00 लाख अर्थदण्ड तथा रायल्टी ₹464610 का पांच गुना ₹2323050 की वसूली अपे क्षत थी।

स्टोन क्रेशर स्वामी श्री धर्म संह भण्डारी पुत्र स्व0 श्री इन्दु संह भण्डारी ग्राम -हेलंग, तहसील जोशीमठ जनपद चमोली की ग्राम हेलंग मे दिनांक 01 मार्च, 2016 को 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत स्थल पर पूर्व से जल वद्धुत परियोजना के द्वारा परियोजना निमार्ण से निकले मक/पत्थर को भण्डारित कया गया था तथा पत्थर की पैमाद्वारा निन्न प्रकार था-

लम्बाई 70 मीटरXगहराई 5 मीटर चोड़ाई X15 मीटर=5250 घनमीटर

जिस पर निम्नानुसार रायल्टी का गणना कया जाना था-

(क) रायल्टी

194.50 घनमीटर X5250घनमीटर

1021125 का 50% =510562

(ख) रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15%

=510562का 15% =₹76584

(ग) वकास शुल्क रायल्टी का 10%

=510562 का 10% =₹51056

कुल=₹638202/-

₹505313 पूर्व मे जमा कये जा चुके थे, अत: अवशेष ₹132889 (638202-505313) रायल्टी के रुप मे और जमा होना शेष था।

2. स्टोन क्रेशर स्वामी श्री जगदीश सह पवाँर पुत्र स्व0 सुरेन्द्र संह पवाँर ग्राम व पोस्ट पाण्डुकेश्वर तहसी जोशीमठ द्वारा स्टोन क्रेशर संयत्र की स्थापना हेतु भू म के समतलीकरण एवं मार्ग से निकले उपखनिज पत्थर के उपयोग हेतु निरीक्षण के समय पत्थर की औसतन पैमाईश 5325 घनमीटर थी तथा वभाग द्वारा समतलीकरण से निकले कुल 5325 घनमीटर उपखनिज पत्थर की रायल्टी पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) हेतु निर्धारित रायल्टी की (रायल्टी का 50% + 15% रिवर ट्रेनिग+10% वकास शुल्क) धनरा श 96.25 घनमीटर की दर से कुल ₹512531.25 अर्थात् ₹512531. निर्धारित की गयी एवं दिनांक 22 अगस्त, 2016 की चालान संख्या 33 से जमा की गयी ।

जब क रायल्टी की गणना नियनानुसार निम्न प्रकार से कया जाना था।

(क) रायल्टी

194.50 घनमीटर X5325धनमीटर

=1035712.50 का 50% =₹517856.25

(ख) रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15%

517856.25का 15% =₹77678.43

(ग) वकास शुल्क रायल्टी का 10%

=517856 का 10% =₹51785.62

कुल=₹647320

₹512531/- पूर्व मे जमा कये जा चुके थे, अत: अवशेष धनरा श ₹134789.00 (₹647320-₹512531) रायल्टी के रुप मे जमा होना शेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस इं गत कये जाने पर वभाग ने बिन्दुवार निम्न उत्तर दिये-

1- जिला धकारी महोदय चमोली के आदेश सं 5256 तीस-42/उपखनि0भण्डारण (2015-16) दिनांनक 15 जून 2016 के द्वारा आवेदक को उसके द्वारा उपखनिज के भण्डारण हेतु आवेदति /उपलब्ध क्षेत्रफल 0.150 है0 पर एक बार मे कुल 4500 घनी मी0 उपखनिज (बालू, रेता कंकरीट) के भण्डारण की अनुज्ञप्ति स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा अव ध तक अर्थात दिनांक 01 मार्च 2021र तक की अव ध हेतु स्वीकृत है। स्वामी/उपखनिज भण्डारण अनुज्ञाप्ति धारक द्वारा क्षेत्रफल के अनुसार तथा भण्डारण नियमावली के अनुसार एक बार मे तीन मी0 की उचाई तक उपखनिज को एकत्रित कर सकता है । परन्तु वक्रय की गयी मात्रा कम होने या समाप्त होने की अव ध के अन्तर्गत क्रय भी कर सकता है।

2- त्रुटिवश नदी तल उपलब्ध उपखनिज की रायल्टी निर्धारित कर मात्र आगणंन आख्या प्रे षत की गयी थी। इस संबंध मे आवेदक से अवशेष रायल्टी की धनरा श ₹132890 निर्धारित लेखा शीर्ष मे जमा कर दी गई है।

3- मूल्यांकन आख्या त्रृटिवश नदी तल पर उपलब्ध उपखनिज (बालू/बजरी/बोल्डर) की निर्धारित /आगं णत दर के आधार पर लगाये गयी थी। आवेदक द्वारा पूर्व मे जमा रायल्टी की अवशेष धनरा श का कोषागार चालान द्वारा ₹134789/- निर्धारित लेखाशीर्षक मे कया जा चुका है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यों क एक बार मे तीन मीटर की उँचाई तक उपखनिज को एकत्रित कर सकने तथा भण्डारण नियमावली के अनुसार उक्त क्षेत्रफल 0.150 है0 मे कतना उपखनिज एकत्रित कया जा सकता है, के आधार पर ही भण्डारणकर्ता को एक बार मे 4500 घन मीटर तक ही भणडारण करने की अनुमति थी। इससे स्पष्ट है क भण्डारणकर्ता द्वारा स्वीकृत उचाई से अ धक उचाई तक उपखनिज का भण्डारण कया गया। अवशेष रायल्टी की धनरा श ₹132890 एवं ₹134789 के जमा चालान भी उपलब्ध नही कराये गये।

अत: स्वीकृत मात्रा से अ धक भण्डारण पर अर्थदण्ड 2.00 लाख एवं रायल्टी 25.91 लाख के अनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर 04-मा सक अ ग्रम कस्त जमा न कये जाने से राजस्व क्षति ₹73.80 लाख

जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के ग्राम अबगांव खसरा सं 127 मु0 क्षे0 3.001 हे0 मे उपखनिज के /ुगान हेतु नि वदा प्र क्रया का अनुपालन करते हुए जिला धकारी चमोली द्वारा सर्वा धक नि वदा दात्ता श्री हरीश संह भण्डारी पुत्र श्री मुरली संह भण्डारी के पक्ष मे मा सक अ ग्रम कश्त 2000000 तथा प्रतिभूति अ ग्रम 4000000 जमा करने के उपरान्त दिनांक 11.02.15 को खनन पट्टा आदेश (एम0एम0-10) निम्न शर्तो के साथ दिया गया क-

अ ग्रम मा सक कश्त जमा करने के उपरान्त ही खनन/ुगान के परिवहन हेतु एम0एम-11 निगर्त कया जायेगा तथा अ ग्रम जमा न करने की स्थिति मे 15% वा र्षक ब्याज के साथ जमा करने का नोटिस जारी करेगा पुन: जमा न करने की स्थिति मे 18% की दर से ब्याज सहित कश्त जमा करेगा।

आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क पट्टा धारक द्वारा मात्र एक माह का अ ग्रम कश्त जमा कया गया था तथा चुगान/खनन तीन माह 02/15, 03/15 एवं 04/15 मे कया गया था, इस प्रकार पट्टाधारक (श्री हरीश चन्द्र भण्डारी) द्वारा दो माह का कस्त ₹4000000 सम्प्रेक्षा ति थ तक जमा न करने से राजस्व क्षति हुई थी तथा उक्त पर ब्याज भी देय है।

पुन: उक्त पट्टे को लाटरी सस्टम के आधार पर मा सक कस्त ₹75250 के आधार पर श्री प्रेम संह रावत के पक्ष मे दिनांक 12.02.16 का आवटित कर दिया गया जो क 30.09.16 तक के लये वैध था पुन पट्टा धारक श्री प्रेम संह रावत द्वारा माह 06/16 का मा सक कस्त ₹750250/- सम्प्रेक्षा ति थ तक जमा नही कया गया था जिस कारण राजस्व क्षति के साथ-साथ ब्याज की हानि भी हुई।

इस प्रकार उक्त लाट परकुल 4750250/- की राजस्व क्षति तथा ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के ग्राम लाटा खसरा सं 69 मा0 क्षे0 04 हे0 मे थी उपखनिज के खनन/ुगान हेतु अल्पका लक नि वदा प्र क्रया का अनुपालन करते हुए जिला धकारी जमोली द्वारा सवा र्धक नि वदा दात्ता श्री धन संह राणा पुत्र श्री लाल संह राणा के पक्ष मे मा सक अ ग्रम कश्त ₹814815 जमा करने के उपरान्त दिनांक 24.04.15 को खनन पट्टा आदेश पूर्व व र्णत शर्तो के साथ निर्गत कर दिया गया।

आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क पट्टाधारक द्वारा दो माह का (05/16 एवं 06/16) कश्त 1629630/- जमा न करने से राजस्व क्षति हुई तथा उक्त पर ब्याज भी देय है।

उपरोक्त दोनो पट्टा दिनांक 30 सतम्बर 2016 तक ही वैध था, जो क वर्तमान मे समाप्त हो चुका है तथा उक्त धनरा श सम्प्रेक्षा ति थ तक जमा नही कया गया था।

उक्त क मयों के संबंध मे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा उत्तर मे नोटिस भेजे जाने के बात स्वीकार की है तथा प्रतिभूति से समायोजन कया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्यों क सम्प्रेक्षा ति थ तक समायोजन नही कया गया था तथा लाट/पट्टा की अव ध समाप्त हो गयी है। अत: मा सक कस्त ₹ 63.80 लाख जमा न कये जाने से राजस्व क्षति तथा ब्याज के हानि का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान ने लाया जाता है।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर 5: शासनादेश मे दिये गये नियमो की अनदेखी से राजस्व क्षति ₹0.50 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गत वकास अनुभाग-1,अ धसूचना संख्या-96/VII-1/2016/158-ख/2004 देहरादून, 22 जनवरी, 2016 के नियम-8(2) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र खनिज भण्डारण हेतु 1000 धनमीटर तक के लये आवेदन शुल्क 0.25 लाख (पच्चीस हजार) तथा इसमे अ धक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 धनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹0.25 लाख आवेदन शुल्क देय होगा।

पुन: नियम 10 खनिज भण्डारण के लये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अव ध समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व नियम 8(2) मे निर्धारित आवेदन शुल्क एवं पूर्व अनुज्ञप्ति के ववरण सहित जिला धकारी कार्यालय मे प्रस्तुत कया जायेगा।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, गोपेश्वर (चमोली) की लेखा परीक्षा मे भण्डारण पत्राव लयों की जांच मे पाया गया क मै0कुवंर स्टोन क्रेशर द्वारा श्री सुरेन्द्र संह कुंवर, ग्राम क्षेत्रफल तहसील व जिला चमोली की दिनांक 24 जून, 2016 तक खनिजों के भण्डारण की अनुमति थी। शासनादेश की अनुसार आवेदक की कम से कम दो माह पूर्व अर्थात् दिनांक 24 अप्रैल, 2016 तक निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना था एंव 5970 घनमीटर उपखनिज के भण्डारण हेतु 1.50 लाख आवेदन शुल्क देय था। जब क आवेदन कर्ता द्वारा नियम वरुद्ध दिनांक 04.04.16 को आवेदन शुल्क के रुप मे 1.00 लाख जमा कये गये। इस प्रकार ₹0.50 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया क आवेदक द्वारा दिनांक 06.06.16 की उपखनिजो के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु जिला कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत कया गया था तत्समय शासनादेश सं0 851/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 19.05.16 प्रस्ता वत था। उक्त नियमावली के बिन्दु सं 8(2) मे स्टोन क्रेशर की खनिज भण्डारण हेतु ₹100000/- आवेदन शुल्क निर्धारित है। उक्तानुसार कसी प्रकार की राजस्व क्षति नही हुई।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यों क यदि शासनादेश का पालन कया गया होता तो आवेदन कर्ता द्वारा नियमानुसार 1.50 लाख जमा कया जाता, शासनादेश आवेदन कर्ता द्वारा कम से कम दो माह पूर्व आवेदन करने मे चूक का परिणाम हुआ क वभाग 0.50 लाख के राजस्व से वं चत हो गया।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
लागू नहीं		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर (चमोली)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: 1. अवैध घनन एवं परिवहन से संबं धत पत्राव लयां
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वीरेन्द्र कुमार संह	खान अ धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र